न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/146

1. बाबूलाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री बिरधीलाल जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. चतरलाल आयु 26 वर्ष आत्मज कान्हा जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. हरिनारायण आयु 55 वर्ष आत्मज किशनगोपाल जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. प्रहलाद आयु 63 वर्ष आत्मज रामकुंवार जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. लोकेश पुत्र कान्हा जरिये संरक्षक माता बादाम बाई बेवा कान्हा जाति मीणा निवासी ग्राम आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. अमर सिंह पुत्र कान्हा जरिये संरक्षक माता बादाम बाई बेवा कान्हा जाति मीणा निवासी ग्राम आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
5. सावित्री बालिग पुत्री कान्हा जाति मीणा निवासी ग्राम आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
6. गायत्री बालिग पुत्री कान्हा जाति मीणा निवासी ग्राम आमली खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
7. रामघणी पुत्री कान्हा जाति मीणा निवासी ग्राम आमली खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
8. बादाम बाई आयु 50 वर्ष बेवा कान्हा जाति मीणा निवासी ग्राम आमली खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
9. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विनय कुमार सक्सेना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामकुमार दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 17.08.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 19.02.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 लगायत 02 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एवं वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में खाता संख्या नया 25 में खसरा नम्बर 35 रकबा 4.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 36 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.66 हैक्टर भूम स्थित है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी क्रम 01 हरिनारायण पुत्र किशनगोपाल का हिस्सा 1/2 व प्रार्थी संख्या 02 प्रहलाद पुत्र रामकुंवार जाति मीणा का हिस्सा 1/4 व अप्रार्थी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 37, 39, 54, 53, 51, 52, 48, 47 की भूमियॉ पश्चिमी तरफ में खसरा नम्बर 33, 34 व उत्तरी तरफ कांकड रकसपुरा का, दक्षिण तरफ में खसरा नम्बर 32, 29, 30, 31, 55, 56 की भूमियॉ स्थित हैं । खसरा नम्बर 55 व 56 की पूर्वी में से होकर पश्चिमी तरफ आमलीखेडा से चल कर धाकडखेडी के कांकड में आम रास्ता जाता है जो राजस्व रिकॉर्ड के सरकारी नक्शे में तरमीम हो रहा है उसकी रास्ते पर होकर खसरा नम्बर 30 के उत्तरी मेर पर खसरा नम्बर 32 की पूर्वी मेर के पश्चिम तरफ में लाल स्याही मार्क पर होकर से खसरा नम्बर 35, 36 की दक्षिणी मेर को जोडने वाले मेर पर प्रार्थीगण 30 साल पहले जब जब प्रार्थीगण व अप्रार्थी ने शामिल में वर्णित कृषि भूमि को क्रय किया था तब से ही उक्त रास्ते का रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित खाते पर आकर अपने खेत में आता है । प्रार्थीगण इसी रास्ते से हल, कुली, ट्रेक्टर–ट्रोली लाने व ले जाने के लिए लम्बे अर्से से इसी रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा है । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 ने खसरा नम्बर 35, 36 के खाते के खेत व कुए पर जाने वाला रास्ता जो खसरा नम्बर 32 की पश्चिमी मेड पर होकर आता है जिसको अप्रार्थीगण ने अंग्रेजी बम्बलों के कांटे डाल कर बन्द करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थी के खसरा नम्बर 32 की पूर्वी मेर की पश्चिमी तरफ जिसको लाल स्याही से मार्क कर रखा है को बहाल करवाया जाना आवश्यक है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 के खसरा नम्बर 32 के पूर्वी मेर के पश्चिमी तरफ लाल स्याही मार्क पर होकर प्रार्थीगण को खाते के खेत खसरा नम्बर 35, 36 पर जाने के लिए 15 फीट रास्ता दिया जावे ।

4. अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 8 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.02.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 30 गैर मुमकिन रास्ता धाकडखेडी से आमलीखेडा जाने वाले रास्ते से प्रारम्भ होकर खसरा नम्बर 32 की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे पश्चिम की तरफ 13 फीट की चौडाई में खसरा नम्बर 35 की मेड तक जिसका कुल क्षेत्रफल 0.04 हैक्टर भूमि तहसीलदार इन्द्रगढ की मौका रिपोर्ट के मुताबिक रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 1 लगायत 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि पूर्व खसरा नम्बर 35 पर जाने का रास्ता खसरा नम्बर 39, 47 और 46 में से होकर जाता है जो कि कई वर्षों से उक्त रास्ता प्रचलित है । अपीलान्ट की भूमि में से रास्ता निकालने पर उसको अपूर्णीय क्षति होगी । इस कारण परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्राप्त होने पर अपीलान्ट द्वारा नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 22.07.2021 को आवेदन किया और उसी दिन नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 02 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 30 गै0मु0 रास्ता धाकडखेडी से आमलीखेडा जाने वाले रास्ते से प्रारम्भ होकर खसरा नम्बर 32 की पूर्वी मेड के सहारे – सहारे पश्चिम की तरफ 13 फीट की चौडाई में खसरा नम्बर 35 की मेड तक जिसका कुल क्षेत्रफल 0.04 हैक्टर की भूमि तहसीलदार इन्द्रगढ की मौका रिपोर्ट के मुताबिक रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया । पूर्व खसरा नम्बर 35 पर जाने का रास्ता खसरा नम्बर 39, 47 और 46 में से होकर जाता है जो कि कई वर्षों से उक्त रास्ता प्रचलित है । अपीलान्ट की भूमि में से रास्ता निकालने पर उसको अपूर्णीय क्षति होगी । ग्राम के व्यक्तियों ने एक पंचनामा इस बाबत् दिया हुआ है कि खसरा नम्बर 35 में जाने के लिए रास्ता खसरा नम्बर 34, 35, 39, 46 व 47 की भूमि जो कि डाम्बर रोड से जुडी हई है जो आम रास्ता है एंव शमशान के पास से होते हुए प्रहलाद आत्मज रामकुंवार के खेत के बीच में से निकल रहा है वही सर्वोत्तम रास्ता है एंव सभी के लिए उपयुक्त है । राजस्व विभाग में नक्शे में भी उक्त खसरा नम्बरों पर डोट–डोट लाईन रास्ते बाबत् दर्ज की हुई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2019 (2) पेज 663 उद्वरत की।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में प्रार्थीगण कम 1 व 2 रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ से मौका एवं रिकॉर्ड की जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गई । उक्त मौका रिपोर्ट के मुताबिक खसरा नम्बर 35 में जाने के लिए रास्ता मौके पर नहीं है और न ही राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज है । मौका रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट पूर्व से ही खसरा नम्बर 32 की मेड से आते–जाते थे । खसरा नम्बर 32 में से रास्ता दिया जाना उचित होना बताया है । प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । रेस्पोडेन्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में राशि जमा करवा दी गई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2021 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2022 (1) पेज 196 उद्वरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए रास्ता कायम करने का कथन किया । प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी पर आने–जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । इसके अलावा दौराने बहस एक डोटेड रास्ते सम्बन्धी मानचित्र की फोटो प्रति का अवलोकन करवाते हुए कथन किया कि पूर्व से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । परन्तु अपील के साथ ऐसा कोई मूल डोटेड लाईन सम्बन्धी सत्यापित नक्शा प्रस्तुत नहीं है । नियमानुसार तहसीलदार के स्तर से मौका देखा गया व रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । रिपोर्ट के मुताबिक खसरा नम्बर 35 में जाने के लिए रास्ता मौके पर नहीं है और न ही राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज है । रिपोर्ट/पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट पूर्व से ही खसरा नम्बर 32 की मेड से आते–जाते थे । खसरा नम्बर 32 में से रास्ता दिया जाना उचित बताया है साथ ही अंकित किया है कि प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.02.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा नियमानुसार रास्ता दिये जाने में सहमति दी गई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में भी अंकित है कि "अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस नियमानुसार रास्ता दिये जाने पर सहमति प्रकट की गई ।" अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का

अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2021 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा